बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6ए0/प्रा0–1023/2018 – 1400 पटना – 15 ,दिनांक :– 6/7/18

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय – राज्य योजना अन्तर्गत अरवल जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल अरवल में पूर्व से निर्मित केयाल ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल के जल से आच्छादित करने हेतु योजना की स्वीकृति।

आदेश – राज्य योजना अन्तर्गत अरवल जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल अरवल में पूर्व से निर्मित केयाल ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल के जल से आच्छादित करने हेतु योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना अन्तर्गत अरवल जिला के निम्न ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत पाईप लाईन का विस्तार एवं इससे आच्छादित वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य कर संतृप्त किया जाना है।
इस योजना के क्रियान्वयन हेतु योजनावार राशि एवं वार्ड निम्नवत् हैं :–

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	पंचायत का नाम	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का नाम	वार्ड संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रूपये में)	
						अंक में	अक्षर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अरवल	अरवल	केयाल	केयाल	5, 6, 7, 8, 9 एवं 15	90.543	नब्बे लाख चौवन हजार तीन सौ रू0 मात्र।
			कुल राशि			**90.543**	**नब्बे लाख चौवन हजार तीन सौ रू0 मात्र।**

3. इस योजना के मुख्य अवयव पाईप लाईन का विस्तार, पाँच वर्ष के लिए संचालन एवं रख–रखाव (विद्युत ऊर्जा पर व्यय सहित) तथा कॉलम–6 में अंकित वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है।

4. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102–ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0106–मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215011020106 – विषय शीर्ष – 0106.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण तथा (II) मुख्य शीर्ष – 2215–जल पूर्ति तथा सफाई – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – मांग संख्या – 36 – उपशीर्ष – 0104– मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) – विपत्र कोड – 36–2215017890104 – विषय शीर्ष – 0104.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण मतदेय शीर्षों में भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, अरवल होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी अरवल कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

7. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

8. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

9. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के सेकल्प संख्या – एम4–53/2007/3758 /वि0 दिनांक – 31–05–17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गयी है।

10. वर्ष 2018–19 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

11. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक – 6ए0/प्रा0–1023/2018 – 1400 पटना – 15 ,दिनांक :– 6/7/18

प्रतिलिपि – वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग / जिला पदाधिकारी, अरवल/कोषागार पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा – 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव